

22/1/2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय एवं करिसे

अनुपास्थित। बार-बार रुक-रुक कर
कर्मिण व प्रार्थिण व अपार्थिण एवं
उनके अधिवक्ता को आवाने लगावरी गयी।
फिर भी प्रार्थिण, अपार्थिण व उनके
अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुए। इसलिए
प्रार्थिण द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र धारा
212 प्रार्थिण व उसके अधिवक्ता की
अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो। नम्बर ही कम हो।

20/1/25
उपस्थित कर्मिण
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिना